9

0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

स0सं0–3/पेन–01–22/2026

आदेश

डा0 श्यामा राय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना जिनकी सेवा निवृति की तिथि **30.04.2026** है, का बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एवं नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4185/वि0 दिनांक 13.7.1985 की कंडिका 5 एवं अधिसूचना संख्या 2757/वि0 दिनांक 27.04.1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एवं फैक्स संवाद 2685/वि0 (2) दिनाक 22.04.1998 के आलोक में कुल रूपये **3,16,611/– (तीन लाख सोलह हजार छः सौ ग्यारह)** रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत **डा0 श्यामा राय** का अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक योजना के सदस्य रहने तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एवं सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय–समय पर निर्धारित दर क्रमशः 20/– 80/– एव 120/– रूपये की दर से अशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहने के आलोक में जमा राशि की व्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है :–

			मूलधन	ब्याज	कुल योग
(i)	पुरानी ग्रुप बीमा योजना	–	9200	197774	206974
(ii)	नयी ग्रुप बीमा योजना	–	28308	81329	109637
	कुल योग	–	37508	279103	316611

3,16,611/– (तीन लाख सोलह हजार छः सौ ग्यारह) रूपये मात्र।

3) यह बजट शीर्ष–8011–बीमा एवं पेंशन निधियाँ राज्य सरकार के बीम निधि (व्यय) 107 राज्य सरकार बीमा निधि (1) से विकलनीय होगी ।

4) वर्णित राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात **डा0 श्यामा राय** को उनके **वेतनादि संबंधित खाते** के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।

5) इस राशि की निकासी विपत्र कोड संख्या–00–8011001070001–0002 से की जाएगी।

ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापाकः 380 (3) /स्वा0, पटना, दिनांक 30/4/26

प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः डा0 श्यामा राय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–शशी निवास, मिर्जापुर लादनपार, नवादा, जिला–नवादा, पिन–805110, मो0नं0–9771176990 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,7,8,9 एव 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

30/4/26
सरकार के उप सचिव

D:\Old System Data\New folder\2026\G Insurance-21 01 2026 doc-28042026-30042026